

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

5 / 2020
15-1-2020

शयोपाल पुत्र प्रहलाद जाति गूर्जर निवासी ग्राम-गांगली तहसील उनियारा जिला-टोंक

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22-10-2019

- उपस्थिति : (1) श्री देवी प्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 9-12-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 22-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है0, वाके ग्राम गांगली में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस पर अपीलान्ट की तामील नहीं हुई है। अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण की कोई साक्ष्य नहीं है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा मिसल नं0 373/19 में दिये गये निर्णय 22-10-2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के साथ न्याय किया जावे।



Handwritten signature of the District Collector, Tonk.

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है, वाके ग्राम गांगली में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामील अपीलान्ट के पुत्र पर हुई थी किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है इस कारण उसके विरु एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 276/18 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है, वाके ग्राम गांगली में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 276/18 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 22-10-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक